

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1678/2026

Ashok S/o Hasti Ram, Aged About 21 Years, Resident Of  
Bhomasar, Police Station Panchodi, District Nagaur, Raj.  
(Petitioner Is Lodged In Sub Jail Nagaur)

-----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, through PP
2. Maga Ram S/o Purkha Ram, R/o Bhomasar, Police Station  
Panchodi, District Nagaur, Raj.

-----Respondents

---

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : Mr. Ratan Ankiya<br>Mr. Shiv Lal Meghwal |
| For Respondent(s) | : Mr. Sameer Pareek, PP                    |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**27/03/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना पांचौड़ी, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 70(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4, 5g/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में केवल प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसको पकड़ना बताया गया है अन्य किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं बताया गया है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, वह दिनांक 16.01.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसको पीछे से आकर पकड़ना बताया गया है, इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध अन्य आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं बताया गया है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी किसी प्रकार की चोट दर्शित नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, वह दिनांक 16.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अशोक पुत्र हस्तीराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J**